न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 02/2025

श्री मोहम्मद रियाज पुत्र नन्ने खां जाति मुसलमान निवासी बावडी पांचबत्ती टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 06.02.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रार्थी ने दिनांक 06.11.2024 को एक आवेदन नव निर्माण कार्य को रूकवाने का पेश किया था,जिसकी रसीद प्रार्थी के पास है,जो संलग्न है। प्रार्थी ने पुनः दिनांक 05.12.2024 को आवेदन अवैध रूप से बनायी गई सीढियो को तुडवाने का निवेदन किया था,उक्त दोनो आवेदनो दिनांक 06.11.2024 एंव दिनांक 05.12.2024 पर जो भी कार्यवाही की उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 49 दिनांक 13.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 87 दिनांक 23.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पत्र कमांक 1135 दिनांक 31.12.2024 से आयुक्त नगर परिषद टोंक को अन्तरित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना आयुक्त नगर परिषद टोंक से संबंधित होने के कारण दिनांक 31.12.2024 को प्रार्थना पत्र नियमानुसार अन्तरित कर दिया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है। आप द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक से संबंधित है, उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाने कि स्थिति में अपीलान्ट उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)